

कार्यालय अपर मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक/निर्वर्तन/काष्ठ/101

भोपाल, दिनांक: 17/04/2003

प्रति,

समस्त वन संरक्षक
मध्यप्रदेश

विषय:- अवरोध मूल्य निर्धारण बाबत ।

संदर्भ:- म.प्र. शासन वन विभाग का पत्र प्रकांक/एफ-30/4/99/10-3 दिनांक 8-9-99

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि अवरोध दरों का निर्धारण वर्ष में दो बार क्रमशः 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर को किया जावेगा । कई वन वृत्तों में माह अप्रैल 2003 में नीलामी निर्धारण की जानकारी अप्राप्त है ।

अवरोध दर के लिए गणना पत्रक एवं प्रस्तावित अवरोध दर पहले मुख्यालय से अवलोकन करा लें । यह ध्यान रहे कि 1 अप्रैल 2003 के बाद बिना अवरोध दरों के निर्धारण के कोई भी नीलाम नहीं किया जावेगा ।

नि. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल